न्यायालयः **विशेष न्यायाधीश, (ई०सी०) ऐक्ट,आजमगढ**

उपस्थित : संतोष कुमार तिवारी, (एच०जे०एस०)

विशेष वाद सं० – ५४/२०१२

स्टेट ..... अभियोजन पक्ष.

बनाम

मो० मुदसिर पुत्र हनीफ साकिन चकसिकठी इस्लाम पुरा थाना मुबारकपुर कोतवाली जनपद आजमगढ

..... अभियुक्त

मु० अ० सं० – ६१/२०११

धारा – १३८ विद्युत अधिनियम

थाना – मुबारकपुर, जनपद आजमगढ।

निर्णय

१. **अभियुक्त मो० मुदसिर** के विरूद्ध प्रस्तुत विशेष परीक्षण वाद में पुलिस थाना **मुबारकपुर** जिला आजमगढ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या **६१/२०११**, अंतर्गत धारा – १३८ विद्युत अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

२. **वादी मुकदमा**/प्रथम सूचनादाता बृजमोहन यादव **प्रभारी निरीक्षक , प्रवर्तन दल आजमगढ़** आजमगढ ने प्रार्थनापत्र दिनांकित २३.०२.२०११ सम्बोधित थानाध्यक्ष मुबारकपुर को इस आशय का प्रस्तुत किया है, जो संक्षेप में इसप्रकार है "आज दिनांक २३.०२.२०११ को मैं प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन यादव प्रवर्तन दल आजमगढ़ मय हमराहियान के जीप नं० यू०पी०४५ /७००४ के वास्ते पूर्व में किये गये विद्युत विच्छेदन की चेकिंग में इस्लाम पुरा कस्बा मुबारकपुर समय करीब १२.४५ बजे आया तथा क्रमशः १. मो० मुदसिर व पाँच अन्य का विद्युत कनेक्शन चेक किया गया तो क्रम संख्या ०१ मो० मुदसिर उपरोक्त का कनेक्शन नं०– १८१९/५२६८०० दिनांक १९.०२.२०११ को बकाया धनराशि ५९,९५९/– रू० होने के कारण विच्छेदित किया गया है तथा मौके पर एल०टी० लाइन से कटिया डालकर सीधे जोड़कर विद्युत उपयोग करते हुए पाया गया।

३. **लिखित** तहरीर वादी के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मु० अ० सं० **६१/०७**, धारा १३८ विद्युत अधिनियम थाना **मुबारकपुर**

जनपद आजमगढ में दिनांक **२३.०२.२०११** को समय **१४.५०** बजे अभियुक्त मो० मुदसिर व अन्य के विरूद्ध पंजीकृत की गयी व विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा गवाहों का बयान अन्तर्गत धारा १६१ दं० प्र० सं० लेखबद्ध किया गया व सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त **मो० मुदसिर व असरफ** के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर तत्कालीन विशेष न्यायाधीश आजमगढ द्वारा अभियुक्त **मो० मुदसिर व असरफ** के विरूद्ध दिनांक ०५.०४.२०१२ को अपराध का संज्ञान लिया गया। दिनांक २८.०९.२०१६ को अभियुक्त मो० मुदसिर की तरफ से सह अभियुक्त असरफ की पत्रावली अलग करते हुए आरोप विरचित करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया जो स्वीकृत हुआ व दिनांक २८.**०९.२०१६** को मेरे द्वारा अभियुक्त **मो० मुदसिर** के विद्वान अधिवक्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को आरोप के बिन्दु पर विस्तारपूर्वक सुनने के उपरान्त् अभियुक्त **मो० मुदसिर** के विरूद्ध धारा १३८ विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया विचारण हेतु मामला पाते हुए आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप को अभियुक्त को पढ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने विरचित आरोप से इनकार किया व विचारण की याचना की, जिससे विचारण प्रारम्भ हुआ।

४. **अभियोजन** की तरफ से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी० डब्लू० १ पत्तू सरोज को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया।

५. **अभियोजन** की तरफ से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में लिखित तहरीर को प्रदर्श क१ के रूप में साबित कराया गया है। दौरान विचारण अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया जिससे अभियोजन द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क ५, चिक एफ० आई० आर० प्रदर्श क २, जी० डी० कायमी प्रदर्श क ३, नक्शा नजरी प्रदर्श क४ के रूप में साबित कराया गया है।

६. **अभियोजन** साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त् अभियुक्त **मो० मुदसिर** का बयान अन्तर्गत् धारा ३१३ दं० प्र० सं० दिनांक **०७.१०.२०१६** को मेरे द्वारा लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त **मो० मुदसिर** ने जुर्म स्वीकार का अभिकथन किया ।

७. अभियुक्त **मो० मुदसिर** द्वारा बचाव में न तो किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया तथा न ही कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

८. **मैंने** अभियुक्त **मो० मुदसिर** के विद्वान अधिवक्ता व लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर विद्यमान सम्पूर्ण साक्ष्यों का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

९. **अब** मैं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करना आवश्यक समझता हूं।

१०. **अभियोजन** की तरफ से परीक्षित अभियोजन साक्षी सं० १ पत्तू सरोज ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में सशपथ कथन किया है कि मै दिनांक **२३–२–२०११** को प्रर्वतन दल आजमगढ मे लाइनमैन के पद पर तैनात था। उस दिन मै अपने उच्चअधिकारियो के निर्देश पर अपनी टीम के साथ जिसमे प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन यादव **, अवर अभियन्ता सूर्य नरायन गुप्ता , उपनिरीक्षक सूर्वदेव सिंह, का० राजेश कुमार व रामबदन शर्मा** के साथ समय करीब १२.४५ बजे अपनी विद्युत लाइन चोरी रोकथाम के अभियान मे हम लोग कस्बा मुबारकपुर **मोहल्ला इस्लामपुरा** मे पहुचकर अपनी लाइन को चेक करना प्रारम्भ किये। तथा उपभोक्ताओ का वैध कनेक्शन जांच करना प्रारम्भ किये तो पाये कि **मो०मुदसिर पुत्र हनीफ विद्युत** कनेक्शन विद्युत बकाये पर दिनांक १९–२–२०११ को काटा गया था अपने परिसर मे घरेलू विद्युत चोरी के रुप मे कर रहा है। मेरे द्वारा अपने **प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन यादव** के निर्देश पर एल० टी० लाइन पोल से पी० वी० सी० केविल दो कोर आठ मीटर विच्छेदित कराकर केविल को कब्जे मे लेकर सील मोहर किया गया तथा मौके पर **प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन यादव** द्वारा तहरीर लिखकर हम लोगो का हस्ताक्षर कराया गया । व हम लोग उसके बाद अन्य लोगो के विद्युत लाइन को जांच हेतु चले गये। एक ही कागज पर अन्य व्यक्तियो का भी तहरीर बनाकर **प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन यादव** द्वारा सम्बन्धित थाना **मुबारकपुर** मे मय माल के एक किता तहरीर दिया जिस पर मुकदमा लिखा गया। उक्त तहरीर की मूल कापी मेरे सामने है। जिसकी मै शिनाख्त करता हूं जो **प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन यादव** के लेख व हस्ताक्षर मे है मै उनके साथ काम किया हूं उनको लिखते पढते देखा हूं इस पर मेरा भी हस्ताक्षर है जिसकी मै शिनाख्त करता हू जिस पर प्रदर्श क १ डाला गया। घटना के बाबत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

चूँकि प्रकरण में अभियुक्त **मो० मुदसिर** द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया गया है तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन प्रपत्रों की

प्रमाणिकता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जिससे अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है तथा अभियोजन साक्षी सं० १ **पत्तू सरोज** ने भी विद्युत चोरी की घटना को साबित किया है तथा अभियुक्त की तरफ से अभियोजन साक्षी सं०१ पत्तू सरोज की प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है, जिससे अभियोजन कथानक पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त **मो० मुदसिर** उपरोक्त साक्ष्य व जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अपराध धारा १३८ विद्युत अधिनियम में दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मो० मुदसिर को अपराध धारा–१३८ विद्युत अधिनियम में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त **मो० मुदसिर** जमानत पर है, जिससे उसकी जमानत निरस्त की जाती हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से **उन्मोचित** किया जाता है। पत्रावली लंच बाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पेश हो।

दिनांक : ०७.१०.२०१६

(संतोष कुमार तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०ऐक्ट),
आजमगढ।

लंच बाद–

पत्रावली लंच बाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु प्रस्तुत की गयी। मैंने दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त **मो० मुदसिर** व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि वह करीब नौ वर्ष से मुकदमे का सामना कर रहे हैं तथा गरीब व्यक्ति है। उसने दौरान विचारण मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग किया है, इसके पूर्व इस तरह के अपराध में या किसी अपराध में कभी दोषसिद्ध नहीं किया गया है उसके विरूद्ध आरोप है कि उसके द्वारा कनेक्शन विच्छेदन के बाद भी बिना बकाया जमा किये बिना कनेक्शन लिए एक किलोवाट घरेलू विद्युत चोरी का आरोप है जिससे उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त **मो० मुदसिर** द्वारा कनेक्शन विच्छेदन के बाद भी अवैध ढंग से विद्युत चोरी कर अपराध कारित किया गया है व उसने स्वयं जुर्म स्वीकार किया है तथा उसके द्वारा विद्युत विच्छेदन के उपरान्त दिनाँक १९.०२.२०११ से २३.०२.२०११ तक अपराध जारी रखा गया है जिससे उसे अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाय। धारा– १३८ विद्युत

अधिनयम में प्राविधानित किया गया है कि –

१३८.अनुज्ञापी के मीटरों या कार्यों में हस्तक्षेप–(१) जो कोई,–

(क) अनधिकृत रूप से किसी मीटर या संकेतक या साधित्र को ऐसी किस विद्युत लाइन से संयोजित करता है जिसके माध्यम से अनुज्ञाधारी द्वारा विद्युत प्रदाय किया जाता है अथवा उसे ऐसी किसी विद्युत लाइन से असंयोजित कर देता है; अथवा

(ख) अनधिकृत रूप से किसी मीटर, संकेतक या साधित्र को ऐसी किसी विद्युत लाइन या अन्य कार्यों से, जो अनुज्ञाधारी की सम्पत्ति है, पुनः संयोजित करता है जबकि उक्त विद्युत लाइन या अन्य कार्य को विच्छेदित अथवा असंयोजित किया जा चुका है; अथवा

(ग) अनुज्ञाधारी के अन्य किसी कार्यों से सम्बद्ध करने के प्रयोजनार्थ किस कार्य को रखता या रखवाता है; या संयोजित करता ; अथवा

(घ) दुर्भाव से अनुज्ञाधारी के किसी मीटर, संकेतक, ना साधित्र को क्षति पहुँचाता है अथवा ऐसे किसी मीटर, संकेतक या सचित्र की सूची में इच्छायुक्त ढंग से या कपटपूर्ण ढंग से फेरबदल करता है अथवा ऐसे किसी मीटर, संकेतक या साधित्र को सम्यक से दर्ज होने से निवादित करता है;

तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगी, या अर्थदण्ड से जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों होगा, और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसे संयोजन को करने, जिसे खण्ड (क) में निर्दिष्ट किया गया है, अथवा ऐसे सम्पर्क जिसे खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किया गया है, को करने के लिए, ऐसे परिवर्तन या रोक को कारित करने के लिए जिसे खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किया गया है, कोई साधन विद्यमान है और यह कि मीटर, संकेतक या साधित्र उपभोक्ता की अभिरक्षा या नियंत्रण में है चाहे वह उसकी सम्पत्ति हो या नहीं, जब तक प्रतिकूल सिद्ध न हो, या उपधारित किया जायेगा कि ऐसा संयोजन, पुनः संयोजन, सम्पर्क, परिवर्तन, रोक या, जैसा विषय हो अनुचित प्रयोग उस उपभोक्ता द्वारा जानबूझकर तथा इच्छायुक्त ढंग से कारित किया गया है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त **मो० मुदसिर** द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है तथा अभियुक्त का पहला अपराध है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त **मो० मुदसिर** को धारा १३८ विद्युत अधिनियम में **रू० १२,०००/–(मुबलिग बारह हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।**

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **मो० मुदसिर को** धारा १३८ विद्युत अधिनियम के अपराध में **रू० १२,०००/–(मुबलिग बारह हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है।** अर्थ दण्ड जमा न करने पर अभियुक्त **मो० मुदसिर** को तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास को भुगतना होगा।अर्थदण्ड की धनराशि में से रू० १०,०००/–अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, आजमगढ को प्रतिकर के रूप में प्रदान किया जाय।

दिनांक : ०७.१०.२०१६ **(संतोष कुमार तिवारी)**

विशेष न्यायाधीश (ई०सी०ऐक्ट),

आजमगढ।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक : ०७.१०.२०१६

(संतोष कुमार तिवारी)

विशेष न्यायाधीश (ई०सी०ऐक्ट),

आजमगढ।